2023/175

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अवुला सांईकृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 87ए/2023 वाद GCMS No. 2023/175

श्रीमती रेखा पत्नी संदीप प्रकाश जी कुणावत, उम्र वयस्क, निवासी 19, सर्वऋतु विलास मोगरावाडी के पास उदयपुर (राज.) ....वादीया

बनाम

1. श्री भग्गा पिता काना जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री भंवरलाल पिता पुना जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी 129 मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. मु. मगु पत्नी स्व. पुना जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी 129 मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्री वरदा पिता माना जी डांगी, मृतक के बजाय :–
   4/1 श्रीमती थानी बेवा वरदा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
   4/2 श्री किशनलाल पिता वरदा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
   4/3 श्रीमती रतनी पिता वरदा पत्नि देवीलाल डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
   4/4 श्रीमती सल्लूबाई पिता वरदा जी डांगी, निवासी केसरपुरा(एकलिंगपुरा) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा अधिवक्ता वादी
2. श्री राजमल राव अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 3

निर्णय

दिनांक : 18.05.2026

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम काया पटवार मण्डल काया के आराजी संख्या 3552, 3553, 3554, 3558, 3559 किता 5 रकबा 3.7200 हैक्टेयर भूमि में वादिया का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि का कानूनी रूप से बंटवाड़ा नहीं हुआ है। मौके पर सभी सहखातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में बटवाडा नहीं होने से

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

वादिया अपने हिस्से का सही तरीके से उपयोग उपभोग नही कर पा रही है एवं वादिया के हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 पालिया वगैरा हाकते समय खोद देते है जिससे अनावश्यक लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है एवं वादिया को अनावश्यक परेशानी हो रही है। वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को उसके हिस्से को बटवाडा कर अलग करने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने स्पष्ट जवाब नही दिया न ही बटवाडा करने हेतु अपनी सहमति ही दी इस कारण वादिया अनावश्यक परेशान हो रही है तथा अपने हिस्से का सही तरीके से उपयोग-उपभोग नही कर पा रही है।

अत: वादीया के हक में व प्रतिवादी संख्या 1 स 4 के विरूद्ध वाद वर्णित जमीन का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बटवाडा किया जाकर वादिया का हिस्सा अलग किया जावे तथा साथ ही लगान का भी बटवाडा किया जाकर वादिया का खाता अलग कायम की जाने की डिक्री प्रदान करायी जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावे।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2025 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार बारापाल द्वारा पक्षकारों को सूचित कर पत्रांक : भू.अ./2025/418 दिनांक 16.06.2025 को बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी संख्या चार फौत होने से वादी द्वारा उसके वारिसान कायम कराने का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत संशोधित अनवान रिकार्ड पर लिया जाता है। वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की गई। प्रतिवादीगण द्वारा रिपोर्ट दिनांक 16.06.2026 को प्रस्तुत हो जाने के बाद भी वादी एवं प्रतिवादीगण में से किसी द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे यह जाहिर होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करना चाहता है।

अतः तहसीलदार बारापाल द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार :-

1- भग्गा पुत्र काना हिस्सा 1/1 जाति डांगी सा. मनवाखेड़ा खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
3558/1	0.0700	ए.सा.तृतीय	0.20
3554/1	0.2400	ए.सा.तृतीय 0.10	0.29
		पड़त प्रथम 0.14	0.08
3552	0.0200	पड़त प्रथम	0.01
3553/1	0.5000	पड़त प्रथम	0.29
3558/2	0.1000	ए.सा.तृतीय	0.29
किता 5	रकबा 0.9300		लगान 1.16

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा.उदयपुर

मु.मगु पत्नि स्व. पुना हिस्सा 1/1 जाति डांगी सा. मनवाखेडा खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
3558/3	0.6300	ए.सा.तृतीय	1.82
3554मी.	0.2300	पडत प्रथम 0.23	0.13
3553मी.	0.0700	पडत प्रथम	0.04
किता 3	रकबा 0.9300	लगान	1.99

3 रेखा कुणावत पत्नि संदीप प्रकाश कुणावत हिस्सा 1/2 जाति कुणावत निवासी 19 सर्वऋतु विलास मोगरा वाडी के पास जिला उदयपुर खातेदार, भंवरलाल डांगी पुत्र पुना डांगी हिस्सा 1/2 जाति डांगी निवासी 129 मनवाखेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
3558 मी.	0.6200	ए.सा.तृतीय	1.81
3559 मी.	0.3100	ए.सा.तृतीय	0.90
किता 2	रकबा 0.9300	लगान	2.71

4– किशलाल डांगी पुत्र वरदा हिस्सा 1/4 जाति डांगी सा. मनवाखेड़ा खातेदार, थानी बाई पत्नि स्व. वरदा हिस्सा 1/4 जाति डांगी सा. मनवाखेड़ा खातेदार, रतन डांगी पुत्र वरदा हिस्सा 1/4 जाति डांगी, सा. मनवाखेड़ा, खातेदार सरला बाई डांगी पुत्री वरदा हिस्सा 1/4 जाति डांगी सा. मनवाखेड़ा खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
3559/1	0.9300	ए.सा.तृतीय	2.70
किता 1	रकबा 0.9300	लगान	2.70

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा राजस्व ग्राम काया पटवार मण्डल काया के आराजी संख्या 3552, 3553, 3554, 3558, 3559 किता 5 रकबा 3.7200 हैक्टेयर भूमि का उपरोक्तानुसार बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 4/4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से की विभाजन की कलम संख्या 3 में वर्णित हिस्से में दखलअंदाजी नहीं करे तथा वादी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करें। तहसीलदार बारापाल तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(अवुला सांईकृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा– उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर
प्रकरण संख्या 87ए/2023 वाद
अन्तर्गत रेखा बनाम भग्गा
अन्तिम डिक्री वाद धारा 53,188 RTA

2023/175

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा-उदयपुर पीठासीन अधिकारी अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस. मुकदमा 87ए/2023 सन 2023 शीर्षक वाद श्रीमती रेखा पत्नी संदीप प्रकाश जी कुणावत, उम्र वयस्क, निवासी 19, सर्वऋतु विलास मोगरावाडी के पास उदयपुर (राज.) बनाम (1)श्री भग्गा पिता काना जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (2)श्री भंवरलाल पिता पुना जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी 129 मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (3)मु. मगु पत्नी स्व. पुना जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी 129 मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (4)श्री वरदा पिता माना जी डांगी, मृतक के बजाय :- (4/1) श्रीमती थानी बेवा वरदा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (4/2) श्री किशनलाल पिता वरदा जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (4/3) श्रीमती रतनी पिता वरदा पत्नि देवीलाल डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (4/4) श्रीमती सल्लूबाई पिता वरदा जी डांगी, निवासी केसरपुरा(एकलिंगपुरा) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (5)सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने अवुला सांईकृष्ण, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता श्री राजमल राव की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :-

1- भग्गा पुत्र काना हिस्सा 1/1 जाति डांगी सा. मनवाखेड़ा खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
3558/1	0.0700	ए.सा.तृतीय	0.20
3554/1	0.2400	ए.सा.तृतीय 0.10	0.29
		पड़त प्रथम 0.14	0.08
3552	0.0200	पड़त प्रथम	0.01
3553/1	0.5000	पड़त प्रथम	0.29
3558/2	0.1000	ए.सा.तृतीय	0.29
किता 5	रकबा 0.9300	लगान	1.16

2- मु.मगु पत्नि स्व. पुना हिस्सा 1/1 जाति डांगी सा. मनवाखेड़ा खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
3558/3	0.6300	ए.सा.तृतीय	1.82
3554मी.	0.2300	पड़त प्रथम 0.23	0.13
3553मी.	0.0700	पड़त प्रथम	0.04
किता 3	रकबा 0.9300	लगान	1.99

3- रेखा कुणावत पत्नि संदीप प्रकाश कुणावत हिस्सा 1/2 जाति कुणावत निवासी 19 सर्वऋतु विलास मोगरा वाडी के पास जिला उदयपुर खातेदार, भंवरलाल डांगी पुत्र पुना डांगी हिस्सा 1/2 जाति डांगी निवासी 129 मनवाखेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर खातेदार

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
3558 मी.	0.6200	ए.सा.तृतीय	1.81
3559 मी.	0.3100	ए.सा.तृतीय	0.90
किता 2	रकबा 0.9300	लगान	2.71

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर
प्रकरण संख्या [illegible] / 2023 वाद
[illegible] बनाम [illegible]
अंतिम डिक्री वाद धारा 53,188 RTA

2023 / 175

4- किशनलाल डांगी पुत्र वरदा हिस्सा 1 / 4 जाति डांगी सा. मनवाखेड़ा खातेदार, धानी बाई पत्नि स्व. वरदा हिस्सा 1 / 4 जाति डांगी सा. मनवाखेड़ा खातेदार, रतन डांगी पुत्र वरदा हिस्सा 1 / 4 जाति डांगी सा. मनवाखेड़ा खातेदार, सरला बाई डांगी पुत्री वरदा हिस्सा 1 / 4 जाति डांगी सा. मनवाखेड़ा खातेदार

आ.सं.	रकबा	किस्म	लगान
3559 / 1	0.9300	पी.का. तृतीय	2.70
किता 1	रकबा 0.9300	लगान	2.70

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा राजस्व ग्राम काया पटवार मण्डल काया के आराजी संख्या 3552, 3553, 3554, 3558, 3559 किता 5 रकबा 3.7200 हैक्टेयर भूमि का उपरोक्तानुसार बंटवारा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 4 / 4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से की विभाजन की कलम संख्या 3 में वर्णित हिस्से में दखलअंदाजी नहीं करे तथा वादी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करें। तहसीलदार बारापाल तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

और इस वाद के खर्चे लेखे ...X... रुपये की राशि ...X... आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ...X... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ...X... द्वारा ...X... को दी जाए।

यह आज तारीख ...18... माह ...05... सन् ...2026... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....

पद उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		